संलग्नक 1 (1)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: पूर्व सेवानिवृत्ति पाठ्यक्रम (एक साल के अंदर या अगले साल रिटायर होने वाले समूह क,ख और ग के कर्मचारियों के लिए।

दिनांक: 2 अप्रैल 2024 से 4 अप्रैल 2024

अवधि: 3 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.सं., मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की जरूरतों के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: प्रतिभागी पेंशन लाभों, सेवानिवृत्ति के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में वित्तीय पहलुओं के बारे में जागरूकता और जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- स्वस्थ जीवन जीना- योग सत्र
- पेंशन लाभ और नियम - सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ-जीपीएफ/एनपीएस, भविष्य, कम्युटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण सहित पेंशन; सीजीईजीआईएस, चिकित्सा सुविधाएं- सीजीएचएस/एफएमए; चिकत्सीय दावे; पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण मशीनरी। केस स्टडीज/परस्परिक सत्र के साथ सामूहिक चर्चा)
- • सेवानिवृत्ति के मनोवैज्ञानिक पहलू - सेवानिवृत्ति और इसमें शामिल प्रक्रिया, बदलाव प्रबंधन, उद्देश्यपूर्ण गतिविधि के लिए सेवानिवृत्त होना, मानसिक दृष्टिकोण में बदलाव, जीवनशैली में बदलाव, रिश्तों को समृद्ध करना, अपनी क्षमता की खोज करना, अपने आपको कभी भी बूढ़ा न समझना, उम्र बढ़ने और उपयोगी होने के बीच अंतर समझना, समय प्रबंधन। (रोल प्ले/ परस्परिक सत्र के साथ सामूहिक चर्चा चर्चा के साथ)
- आईए&एडी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के अवसर।
- साइबर सुरक्षा जागरूकता: साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों और संभावित सुरक्षा उपायों और सावधानियों के बारे में जागरूक होना और इन खतरों से बचने के लिए उनका पालन करना।
- सेवानिवृत्ति के वित्तीय पहलू - एक सलाहकार का चयन, निवेश के रास्ते, अल्पकालिक जरूरतों से लेकर दीर्घकालिक जरूरतों तक की प्रासंगिक योजनाओं पर चर्चा, विभिन्न जोखिम और आमदनी, भविष्य के खर्चों के लिए समय और आवश्यकता की पहचान करना (केस स्टडीज/ सामूहिक चर्चा)।
- परिसंपत्ति आवंटन-वरिष्ठ नागरिक योजना, म्यूचुअल फंड, बांड, डाकघर, टर्म इंश्योरेंस आदि के लिए बैंक जमा; प्रत्येक योजना के नियम और विनियम, कर योजना, वसीयत के निहितार्थ (केस अध्ययन/ सामूहिक चर्चा)
- प्रशिक्षण की विधि: व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, रोल प्ले, केस अध्ययन और पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा)
- संभावित प्रशिक्षार्थी: कोई भी अधिकारी जो इस वर्ष या अगले वर्ष सेवानिवृत्त हो रहा हो।

प्रशिक्षण विधि: व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, रोल प्ले, केस अध्ययन और पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा)।

संभावित प्रतिभागी: कोई भी अधिकारी जो इस वर्ष या अगले वर्ष सेवानिवृत्त होगा।

अतिरिक्त जानकारी: संकाय: क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.सं., मुंबई के कोर संकाय के अलावा विभाग के ग्रुप क और ख के अधिकारी और सेवानिवृत लेखा परीक्षा/ बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि (2023-24)**:** प्रतिभागियों द्वारा **0-10** के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (**2023-24)** रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(2)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: सीधे भर्ती और विभाग के पदोन्नत एएओ/ पर्येवेक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (ऐसे कार्मिक जिन्होंने वर्ष 2022 की परीक्षा पास की हो और प्रशिक्षण ना लिया हो।

दिनांक: 22 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024

अवधि: 30 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: प्रतिभागी बुनियादी लेखांकन और लेखा परीक्षा कार्यों के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे क्योंकि इससे उन्हें कार्यात्मक ज्ञान बढ़ाने और अपने कार्यस्थल पर इसे कुशलतापूर्वक लागू करने में मदद मिलेगी और सॉफ्ट कौशल के ज्ञान से मदद मिलेगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत गुण हैं जो अधिकारियों के काम और व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- एनएएए शिमला में शीर्ष 10 एएओ के एक सप्ताह के एक्सपोजर कोर्स के संबंध में मुख्यालय के निर्देशों से
- विभाग की संगठनात्मक संरचना।
- आत्मविश्वास के साथ बातचीत करना।
- उत्साह।
- कर एवं कर से संबन्धित कानून।
- सूचना तकनीकी लेखापरीक्षा एवं सूचना तकनीकी यंत्रों की लेखापरीक्षा- आवश्यकता विश्लेषण, हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर की खरीद/विकास से लेकर सभी चरण। सॉफ़्टवेयर विकास जीवन चक्र, उत्पादन परिवेश में लागू होना, परिवर्तन प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन; व्यापार निरंतरता और आपदा पुनर्प्राप्ति योजना और इसके परीक्षण, सुरक्षा और पहुंच सहित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आईटी सुरक्षा पहलू (केस स्टडीज के साथ); ईआरपी सिस्टम/फ्रंट-एंड और बैक-एंड सिस्टम जैसे आईटी अनुप्रयोगों को समझना, एमआईएस और इकाई के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित आईटी सिस्टम की पहचान करना, आईटी एप्लिकेशन और उसके इंटरफेस की संरचना और क्षेत्रों को समझना, फ्रंट-एंड और बैक-एंड तक पहुंचने की व्यवस्था करना। डेटा निष्कर्षण और वास्तविक लेखापरीक्षा के लिए आवेदन; डेटा संचालित जोखिम मूल्यांकन और जोखिम मानदंड स्थापित करने के लिए उपयोगकर्ता डेटाबेस से जोखिम प्रोफाइलिंग, विश्लेषण और वास्तविक ऑडिट के लिए नमूना आकार और नमूना चयन, अंग्रेजी में प्रश्न लिखना, अंग्रेजी प्रश्नों को डेटा निष्पादन योग्य क्वेरी और डेटा निष्कर्षण में परिवर्तित करने के लिए ऑडिटी की मदद लेना, प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना और डेटा की शुद्धता, डेटा विश्लेषण, और वास्तविक ऑडिट का संचालन। (जीएसटी लेखापरीक्षा/कस्टम लेखापरीक्षा और आईटी वातावरण में किसी अन्य लेखापरीक्षा का अनुभव सिखाया जाएगा)।
- • कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीकें (CAATs)- लेखापरीक्षा टूल के रूप में एमएस एक्सेल - उन्नत सुविधाएँ और अभ्यास, ऑडिट टूल के रूप में एमएस-एक्सेस - उन्नत सुविधाएँ, विश्लेषण और अभ्यास; पारस्परिक डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण (आईडीईए) - आईडीईए से परिचय - निष्कर्षण, विश्लेषण और अभ्यास।
- प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक प्रस्तुति (विषय चुनाव क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.सं., मुंबई द्वारा किया जाएगा।

- एमएस वर्ड- एडवांसड विशेषताएँ।
- आईए&एडी में कार्यालयीन कारवाई।
- हिंदी राजभाषा नीति- पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग।
- भारत सरकार की वेबसाइट डिजिटल इंडिया (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देश
- प्रारूपण कौशल-टिप्पण और प्रारूपण (साधारण पत्र, अर्ध-सरकारी पत्र, परिपत्र, यूओ); केस स्टडीज के साथ फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों का मसौदा तैयार करने पर असाइनमेंट; रिपोर्ट लेखन (आईआर) पर असाइनमेंट; सीएजी की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए लेखापरीक्षा पैरा के प्रारूपण पर असाइनमेंट।
- पारदर्शिता।
- प्रस्तुतियाँ (प्रत्येक प्रतिभागी की प्रस्तुति कौशल का आकलन करने के लिए)
- समस्या का रचनात्मक हल
- बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- प्रत्यायोजन वित्तीय शक्ति नियम 1978
- टीम गतिविधि (अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए)
- विभाग में व्यावसायिक विकास
- लिंग संवेदीकरण
- समग्र विधायी व्यवस्थाएं और संगठनात्मक संरचना, स्थानीय निकायों की लेखा प्रणाली और स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा (धारा विशिष्ट विषय पर आधारित केस अध्ययन)
- विनियोजन और वित्त खाते (एसएफएआर विश्लेषण/सस्पेंस/जेई/यूजीएफएआर से संबंधित मामले का अध्ययन)
- विनियोग एवं वित्त लेखा तैयार करने की यात्रा
- पाठ्येतर गतिविधियाँ (दिन भर की छुट्टी सहित)
- आईटी सुरक्षा उपाय
- कॉर्पोरेट कानून और वाणिज्यिक कानूनों का अवलोकन
- आरटीआई अधिनियम 2005
- परिवर्तन प्रबंधन
- कार्यस्थल पर पर्यवेक्षी कौशल और पारस्परिक संबंध, सलाह कौशल
- एसक्यूएल एक ऑडिट टूल के रूप में - सुविधाएँ, विश्लेषण और अभ्यास
- खेल/खेल में गतिविधियाँ
- सार्वजनिक ऋण प्रबंधन
- तालिका और नाइम (Knime)- विशेषताएं, विश्लेषण और अभ्यास
- वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना
- आधिकारिक बैठकों की तैयारी
- वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा (केस अध्ययन के साथ)
- ऑडिट में परिचय और अनुप्रयोग - हाइव और HADOOP
- संघर्ष समाधान और बातचीत
- निर्णय लेना
- सांस्कृति गतिविधियां
- लोक प्रशासन में नैतिकता और आचार संहिता
- वॉक थ्रू - ई-ऑफिस; वॉक थ्रू - ई-एचआरएमएस
- स्वायत्त निकायों का अनुपालन और प्रमाणन (केस अध्ययन के साथ)
- परिणाम आधारित लेखापरीक्षा
- ओआईओएस
- मूल्यांकन - परीक्षण

प्रशिक्षण विधि: व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, रोल प्ले, केस अध्ययन और पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), प्रश्नोत्तरी

संभावित प्रतिभागी: वे अधिकारी जिन्होंने 2022 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रशिक्षण नहीं लिया है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.सं., मुंबई के कोर संकाय के अलावा विभाग के ग्रुप क और ख के अधिकारी और सेवानिवृत लेखा परीक्षा/ बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि (2023-24)**:**

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(3)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: केसी टॉपिक – कंपनियों की समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा विषय पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईए&एएस, वलेपअ/ सलेपअ के लिए)।

दिनांक: 22 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024

अवधि: 4 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के लिए ज्ञान केंद्र होने के नाते**,** वाणिज्यिक लेखापरीक्षा या कंपनियों के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा से जुड़े आईए **&** एएस अधिकारियों और वलेपअ/ सलेपअ के लिए 'समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रतिभागी कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आवश्यकताओं समझने में सक्षम होंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- समेकित वित्तीय विवरण से परिचय।
- सहायक कंपनियाँ - क्यों बनाई गई हैं? इनकी आवश्यकता कब होती है? समेकन का उद्देश्य।
- समेकन पर कंपनी कानून - कंपनी अधिनियम 2013 में दी गई मुख्य परिभाषाएँ, वित्त वर्ष में अंतर, वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, विदेशी सहायक कंपनियाँ, फाइलिंग और प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएँ 'सीएफएस के लिए अनुसूची III की आवश्यकताएं और अन्य संस्थाओं के हित।
- समेकित वित्तीय विवरण-अवधारणाएँ (एएस और इंड एएस दोनों)
- समेकन गणना - नियंत्रण का अधिग्रहण, नियंत्रण का निपटान, सहायक, सहयोगी, संयुक्त उद्यम, संयुक्त संचालन और निष्क्रिय निवेश और उस खाते पर लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रकटीकरण के बीच स्थिति में बदलाव।
- पूर्ण/आंशिक अधिग्रहण/निपटान तिथियों के अलावा नियमित आधार पर समेकन गणना।
- इंड एएस 110: समेकन के लिए प्रासंगिक इंड एएस 103 में समेकित वित्तीय विवरण-लेखा प्रावधान।
- एएस 23 और 27 और इंड एएस 23,101, 111, 27 और 28 - एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखांकन**,** पहली बार इंडएएस को अपनाना - इंड एएस 112 और इंड एएस 7- नकदी प्रवाह पर समेकन का प्रभाव।
- जटिल तालिकाओं और एक्सेल कार्यप्रणाली के साथ समेकन लाभ-हानि और बैलेंस-शीट समस्याओं का समाधान।
- नकदी-प्रवाह**,** इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और प्रकटीकरण नोट्स समस्या समाधान।
- उचित मूल्य माप पर पंजीकृत मूल्यनिर्धारक अवधारणा और अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों का नवीनतम प्रभाव।
- विदेशी सहायक कंपनियां - निजीकृत पीएसयू के समूह द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित या महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कुछ समझौतों (ऋण समझौते**,** साइड समझौते**,** वाउचर**,** औपचारिक लेखांकन नीतियों आदि सहित) के बारे में जानकारी की अनुपलब्धता।
- कुछ पेचीदा मुद्दे उचित मूल्य माप पर पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं की अवधारणा और अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों का नवीनतम प्रभाव विदेशी सहायक कंपनियां - निजीकृत पीएसयू के समूह द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित या महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कुछ समझौतों (ऋण समझौते**,** साइड समझौते**,** वाउचर**,** औपचारिक सहित) के बारे में जानकारी की अनुपलब्धता लेखांकन नीतियां आदि)
- समेकन लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधान।

- सीएफएस के ऑडिट की चेकलिस्ट पर मुख्यालय मार्गदर्शन नोट।
- सीएफएस की अनुपूरक लेखापरीक्षा पर मुख्यालय के नियम।
- सीएफएस की पूरक लेखापरीक्षा के लिए टिप्पणियों/रिपोर्ट का प्रारूप.
- सीएफएस ऑडिटिंग और सीएफएस रिपोर्टिंग पर सीए संस्थान के दिशानिर्देश।
- सीएफएस पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ.
- केस स्टडी और सामूहिक चर्चा।

प्रशिक्षण विधि: व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, प्रश्नोत्तरी पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), केस स्टडी।

संभावित प्रतिभागी: वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों में आईए और एएस अधिकारी, वरिष्ठ एओ और एएओ, जिनके पास वाणिज्यिक लेखांकन/लेखा सिद्धांतों का बुनियादी ज्ञान है और जो कंपनियों के पूरक लेखापरीक्षा और समूह कंपनी खातों के विश्लेषण में लगे हुए हैं, उन्हें इस प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.सं., मुंबई विभाग के अधिकारियों और बाहरी विशेषज्ञों से लिया जाएगा।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि (2023-24)**:**

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(4)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा (समूह ए और बी के लिए)।

दिनांक: 06 मई 2024 से 10 मई 2024

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की संभावित प्रशिक्षण आवश्यकताओं हेतु आयोजित किया जा रहा है। स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा होने के कारण, यह पाठ्यक्रम स्वायत्त निकायों (केंद्रीय एबी और राज्य एबी) की लेखापरीक्षा में शामिल अधिकारियों के लिए है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रतिभागी स्वायत्त निकायों के खातों और लेखापरीक्षा की विशेषताओं के बारे में जागरूकता प्राप्त करने में सक्षम होंगे

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के लिए कानूनी अधिदेश से परिचय।
- स्वायत्त निकायों के सीएजी ऑडिट के लिए अधिदेश, दायरा और प्रक्रिया।
- स्वायत्त निकायों के लिए विशिष्ट लेखांकन और लेखापरीक्षा पहलू।
- स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा के लिए अनुदेश मैनुअल की मुख्य विशेषताएं।
- एबी के लिए खातों का एक समान प्रारूप/ एसएआर का प्रारूप; और एबी रिपोर्टिंग तंत्र।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी खातों का प्रारूप।
- आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन; जोखिम और भौतिकता।
- स्वायत्त निकायों के वित्तीय/ लेन-देन ऑडिट के दौरान के दिलचस्प बिंदुओं पर चर्चा।
- एसएआर पर केस स्टडी और सामूहिक चर्चा।
- टैली सॉफ्टवेयर का अवलोकन।

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, केस स्टडी और समूह चर्चा।

संभावित प्रतिभागी: समूह ए और बी के वो अधिकारी जो स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा या खातों के प्रमाणीकरण से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं या प्रतिनियुक्त किए जा सकते है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.सं., मुंबई विभाग के अधिकारियों और बाहरी विशेषज्ञों से लिया जाएगा।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि (2023-24)**:**

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(5)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का पता लगाने वाली तकनीकों के ऑडिट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (पर्यवेक्षक, एएओ से वरिष्ठ एओ तक)।

दिनांक: 13 मई 2024 से 16 मई 2024

अवधि: 4 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की मांग पर आयोजित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) इस प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागी सक्षम होंगे:

- लेखापरीक्षित इकाई में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानने में।
- धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की पहचान कर सकेंगे; जानेंगे कि धोखाधड़ी किस तरह से हो सकती है और जागरूकता की भावना विकसित कर सकेंगे और धोखाधड़ी की जांच के लिए महत्तवपूर्ण बातों के बारे में जान सकेंगे।
- विभिन्न धोखाधड़ी के लक्षणों को पहचान सकेंगे, उनका विश्लेषण कर सकेंगे - जो प्रबंधन और कर्मचारियों दोनों के लिए जिम्मेदार हैं और विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय मापदंडों के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर सकेंगे जो उस वातावरण को आकार देते हैं, जिसमें इकाई कार्य करती है।
- ऑडिट जोखिम का आकलन करने और उचित ऑडिट परीक्षण और प्रक्रिया करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता या अपर्याप्तता की पहचान और मूल्यांकन कर सकेंगे।
- एसएआई इंडिया और एएसओएसएआई दिशानिर्देशों द्वारा जारी प्रासंगिक ऑडिटिंग मानकों के महत्व को समझ सकेंगे।
- धोखाधड़ी जांचकर्ता की भूमिका को समझ सकेंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को समझना - धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तत्व; धोखाधड़ी और त्रुटि के बीच अंतर।
- एसएआई इंडिया के भीतर ऑडिट अधिदेश और ऑडिट अधिदेश।
- धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से लड़ने में एएसओएसएआईकी समझ।
- धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की श्रेणियाँ।
- वित्तीय धोखाधड़ी के सामान्य तौर-तरीके, कार्यस्थल पर धोखाधड़ी को प्रेरित करने में व्यक्तिगत और संगठनात्मक वातावरण को समझना।
- धोखाधड़ी का पता लगाने वाली बातें।
- सामान्य जोखिम संकेतक, धोखाधड़ी के लक्षण, असामान्य लेनदेन।
- धोखाधड़ी में प्रबंधन की संलिप्तता, कर्मचारियों के धोखाधड़ी के लक्षण, 'लाल झंडे' की पहचान पर प्रकाश डालने वाला केस अध्ययन।
- फोरेंसिक जांच की अवधारणा और इसकी प्रासंगिकता, धोखाधड़ी के प्रकार; 'लाल झंडे' ढूंढना, साक्ष्य एकत्र करना, साक्ष्य का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग।
- डिजिटल फोरेंसिक ऑडिट (ऑडिट परिप्रेक्ष्य से उदाहरणों के साथ)।

- धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने में ऑडिट और प्रबंधन की संबंधित भूमिकाएं, एसएआई इंडिया ऑडिटिंग मानक और धोखाधड़ी के ऑडिट में एएसओएसएआई दिशानिर्देश।
- सरकारी संस्थाओं में 'लाल झंडों' की पहचान; साक्ष्य संग्रहण और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्टिंग में क्षेत्र मानक।
- आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य और धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने में उनकी भूमिका; आंतरिक नियंत्रण का दायरा और कवरेज।
- जोखिम मूल्यांकन और धोखाधड़ी संकेतकों की पहचान; नमूना लेने के तरीके।

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), अभ्यास और केस स्टडी।

संभावित प्रतिभागी: पाठ्यक्रम के लिए वरिष्ठ एओ/एएओ/पर्यवेक्षकों को नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: संकाय को संसाधन पूल से लिया जाएगा जिसमें विषय वस्तु से निपटने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति और विभाग के समूह ए और बी अधिकारी शामिल होंगे।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि (2023-24)**:**

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(6)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: एमसीटीपी लेवल 2 (एएओ जिनकी सर्विस 7 साल या उससे ज्यादा हो।

दिनांक: 27 मई 2024 से 01 जून 2024

अवधि: 6 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को पेशेवर, निष्पक्ष और निपुण बनाना है। एमसीटीपी का मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों को जो कार्य सौंपा गया है, उसे प्रभावी रूप से निष्पादित करने के लिए उन्हें अपने कार्य के बारे में जानकारी, गुण और सकारात्मक दृष्टिकोण हो।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- मूल्य: अवधारणाएँ, परिभाषा, संस्थानिक मूल्यों की अवधारणा, आधारभूत कंपनी मूल्य।
- आचारशास्त्र, नैतिक मूल्य: आचारशास्त्र, नैतिक मूल्य और मान्यताएँ।
- मूल्य एवं कार्यस्थल: चारित्रिक गुण और व्यक्तित्व।
- व्यक्तिगत आधारभूत मूल्य और सीएजी के आधारभूत मूल्य।
- प्रभावी संचार: अवधारणाएँ, परिभाषा, संचार में बाधाएं, सामाजिक गुण और व्यवहार, सुनने की विशेषता, सीएजी की मीडिया नीति।
- सामूहिक गतिशीलता- सामूहिक गतिशीलता पर वाद-विवाद, इसकी अवधारणाएँ और कार्य, विभिन्न सिद्धांत इत्यादि।
- सामूहिक विकास & समूह बनाना- सामूहिक विकास & समूह बनाना पर वाद-विवाद; समूहों और सोच पर सामाजिक प्रभाव; समूह की समस्याएँ/ विरोध और इनका निवारण करने के लिए उचित नीतियाँ।
- प्रोत्साहन, मासलो, हर्जबर्ग इत्यादि के प्रोत्साहन करने के सिद्धांत- प्रोत्साहन का महत्तव, विभिन्न सिद्धांत, प्रोत्साहन के द्वारा कार्य निष्पादन में सुधार।
- प्रोत्साहन की भूमिका और व्यक्तित्व- व्यक्तित्व के प्रकार, इसके गुण, अलग-अलग व्यक्तित्व के लोगों को कैसे प्रोत्साहित करें।
- प्रोत्साहन- विशेष नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान- कर्मचारियों का मनोबल महत्तवपूर्ण निर्णयों को अमल में लाने में कितना प्रभावी होता है, इसे समझना।
- वित्तीय बाजार और पूंजीगत बाजार- वित्तीय बाजार के प्रकार, वित्तीय बाजार के लाभ और हानि, वित्तीय बाजार के कार्य।
- व्यक्तिगत आचार-व्यवहार, पेशेवर आचार-व्यवहार, आचारशास्त्र संहिता- व्यक्तिगत आचार-व्यवहार और पेशेवर आचार-व्यवहार के अंतर को विस्तारपूर्वक बताना; सीएजी की आचार-संहिता को लागू करना।
- बिग डाटा अप्रोच का चुनाव- बिग डाटा क्या है? बिग डाटा विस्तार। लेखापरीक्षा में बिग डाटा अप्रोच का चुनाव।
- सूचना तकनीकी तंत्र पर एक नजर, सूचना तकनीकी वातावरण और साइबर सुरक्षा के जोखिम।
- आईटी एक्ट 2008, CERT-In, लेखापरीक्षा में संस्थानों के सूचना तकनीकी तंत्र और डाटा का इस्तेमाल।
- लिंग संवेदीकरण, लिंग अवधारणा, रूढ़िवादिता और इसके प्रभाव, कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न (Prevention. Prohibition and Redressal) एक्ट 2013

- बाहरी कार्यक्षेत्रों का दौरा।
- पर्यावरण& संसधारणीय विकास और संबन्धित अवधारणाएँ- पर्यावरण& संसधारणीय विकास की मूल बातें; संसधारणा के लिए 2030 कार्यसूची से परिचय; विकास और संसधारणीय विकास का लक्ष्य (SDGs)।

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, भूमिका निर्वाह**,** पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा)**,** अभ्यास और केस स्टडी**,** बाहरी कार्यक्षेत्रों का दौरा।

संभावित प्रतिभागी: पाठ्यक्रम के लिए एएओ जिनकी सर्विस 7 साल या उससे ज्यादा हो**,** को नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: क्षे.क्ष.नि. एवं ज्ञा.सं.**,** मुंबई विभाग के अधिकारियों और बाहरी विशेषज्ञों से लिया जाएगा।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि (2023-24)**:**

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(7)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: अनुपालना लेखापरीक्षा हिदायतें, 2016 के अनुसार अनुपालना लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षक से वलेपअ तक)।

दिनांक: 10 जून 2024 से 12 जून 2024

अवधि: 2 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर और क्षेत्रीय सलाहकार समिति के निर्णयों के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) इस प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागी अनुपालना लेखापरीक्षा हिदायतें, 2016 को समझने में सक्षम होंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- अनुपालना लेखापरीक्षा हिदायतें, 2016 से परिचय- सामान्य हिदायतें।
- केस स्टडी के साथ वार्षिक अनुपालना लेखापरीक्षा योजना की तैयारी।
- शीर्ष लेखापरीक्षा योग्य और लेखापरीक्षा इकाइयों का जोखिम प्रोफ़ाइल।
- भौतिकता- योजना बनाने के लिए, साक्ष्य की मात्रा और प्रतिवेदन के लिए।
- बहुस्तरीय नमूनाकरण- लेन-देन का चुनाव।
- विषय-वस्तु का चुनाव।
- अनुपालना लेखापरीक्षा योजना- आंतरिक नियंत्रण की समझ और आंकलन; लेखापरीक्षा और अनुपालना लेखापरीक्षा उद्देश्यों का विस्तार क्षेत्र।
- अनुपालना लेखापरीक्षा डिज़ाइन मैट्रिक्स (एडीएम) की तैयारी।
- अनुपालना लेखापरीक्षा को लागू करना: एडीएम के साथ अनुपालना लेखापरीक्षा का संचालन।
- साक्ष्य एकत्रण; साक्ष्य मूल्यांकन; निष्कर्ष निकालना।
- लेखापरीक्षा परिणाम मैट्रिक्स (एएफ़एम) के अनुसार लेखापरीक्षा निष्कर्ष सुनिश्चित करना और एएफ़एम के जरिए एडीएम के साथ लेखापरीक्षा परिणामों की मैपिंग।
- अनुपालना लेखापरीक्षा प्रेषण- निरीक्षण प्रतिवेदन, विभागीय अनुशंसा टिप्पणी, अनुपालना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- निरीक्षण प्रतिवेदन और अनुपालना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कारवाई।
- केस स्टडी, वाद-विवाद, और अनुभव साझा करना।

प्रशिक्षण विधि: व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा)और केस स्टडी।

संभावित प्रतिभागी: इस पाठ्यक्रम के लिए सिविल लेखापरीक्षा**,** वाणिज्यिक लेखापरीक्षा**,** रेलवे लेखापरीक्षा**,** रक्षा लेखापरीक्षा और एफ़&सी लेखापरीक्षा का कार्य कर रहे वलेपअ/ लेपअ/ सलेपअ/ वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/ लेखापरीक्षकों को नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: संकाय को संसाधन पूल से लिया जाएगा जिसमें विषय वस्तु से निपटने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति और विभाग के समूह ए और बी अधिकारी शामिल होंगे।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि (2023-24)**:**

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(8)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: स्वायत्त संस्थाओं की लेखापरीक्षा विषय पर कार्यशाला (समूह 'क' और 'ख' के लिए)

दिनांक: 13 जून 2024 से 14 जून 2024

अवधि: 2 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह कार्यशाला क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की मांग पर संचालित की जा रही है। स्वायत्त संस्थाओं की लेखापरीक्षा विषय होने के कारण, यह कार्यशाला उन सभी कार्मिकों के लिए है जो स्वायत्त संस्थाओं की लेखापरीक्षा करते हैं। (केंद्रीय स्वायत्त संस्थाएं और राज्य स्वायत्त संस्थाएं)

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) इस प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागी खातों की विशेषताएँ और स्वायत्त संस्थाओं की लेखापरीक्षा करने में सक्षम होंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- स्वायत्त संस्थाओं के वित्तीय लेन-देन के दौरान ध्यान में आने वाले महत्तवपूर्ण बिन्दुओं पर वाद-विवाद।
- केस स्टडी और एसएआर पर सामूहिक चर्चा।
-

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, केस स्टडी और सामूहिक चर्चा**,** प्रश्नोत्तरी।

संभावित प्रतिभागी: स्वायत्त संस्थाओं की लेखापरीक्षा या खातों के सत्यापन से संबंधित कार्य करने वाले या भविष्य में ऐसा कार्य करने वाले समूह **'**क**'** और **'**ख**'** के कार्मिकों के लिए।

अतिरिक्त जानकारी:
संकाय: विभाग के ग्रुप क और ख के अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:
यह कार्यशाला पहली बार संचालित की जा रही है।

संलग्नक 1(9)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: एमसीटीपी लेवल 3 (सलेपअ और वलेपअ संवर्ग में, 12 वर्ष या अधिक मिश्रित, सेवा देने वालों के लिए)

दिनांक: 22 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024

अवधि: 6 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को पेशेवर, निष्पक्ष और निपुण बनाना है। एमसीटीपी का मुख्य कार्य ये सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों को जो कार्य सौंपा गया है, उसे प्रभावी रूप से निष्पादित करने के लिए उन्हें अपने कार्य के बारे में जानकारी, गुण और सकारात्मक दृष्टिकोण हो।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- संचार कौशल, आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ प्रभावी संचार।
- विश्लेषणात्मक सोच, समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से निवारण।
- समय और तनाव प्रबंधन।
- ई-शासन को समझना, मिशन मोड परियोजनाएं, ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस (मानव सम्पदा)।
- भूमिका बदलाव प्रबंधन विनम्र व्यवहार।
- सरकारी खजाने का प्रबंधन, संघ और राज्यों की राजस्व स्थिति।
- सूचना तकनीकी वातावरण में लेखापरीक्षा।
- टीम प्रबंधन।
- हितधारक वचनबद्धता।
- शासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालना।
- आंतरिक नियंत्रण, धोखाधड़ी और फोरेंसिकस।
- सार्वजनिक व्यय और एफ़आरबीएम एक्ट।
- राजस्व के साधन; गुड टैक्स सिस्टम की विशेषताएँ।
- वैश्विक पर्यावरण संकट के बारे में- ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और पशु-पक्षियों की प्रजातियों की विलुप्तता।
- पर्यावरण शासन
- विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का प्रबंधन।
- बाहरी कार्यक्षेत्रों का दौरा।

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, भूमिका निर्वाह, पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), अभ्यास और केस स्टडी, बाहरी कार्यक्षेत्रों का दौरा।

संभावित प्रतिभागी: सलेपअ और वलेपअ संवर्ग में,12 वर्ष या अधिक मिश्रित, सेवा देने वालों के लिए।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: विभाग के संकाय और विषय वस्तु में कुशल बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(10)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: प्रशासनिक मुद्दे।

दिनांक: 29 जुलाई 2024 से 02 अगस्त 2024

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को प्रशासनिक मुद्दों के बारे में जानकारी देना है।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- एडमिन एप्लिकेशन से परिचय- ई-एचआरएमएस (मानव सम्पदा- पीएफ़एमएस, आईबीईएमएस, भविष्य, एलआईएमएस (Legal Information Management System)
- सूचना के अधिकार से संबन्धित आवेदनों से निपटना (सीएजी की हिदायतें)।
- सेवा पुस्तिका एवं इसके भागों का रख-रखाव।
- हकदारी कार्य- वेतन बनाना, पेंशन, पदोन्नति नियम।
- यात्रा भत्ता, एलटीसी, चिकित्सा दावों की चैकलिस्ट।
- टीडीएस आवेदन।
- चल/ अचल संपति विवरणी।
- (पीओएसएच) अधिनियम और सीसीएस (कंडक्ट) रुल के अनुसार कार्यस्थलों पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले रोकने के तरीके।
- अनुशासनात्मक जाँचों के संचालन के तरीके।
- ई-ऑफिस में कार्य करना।

प्रशिक्षण विधि: प्रस्तुतियाँ, पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), अभ्यास और केस स्टडी।

संभावित प्रतिभागी: लेखापरीक्षक/ लेखाकार से वलेपअ।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: विभाग के संकाय और विषय वस्तु में कुशल बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

यह प्रशिक्षण उपयोगकर्ता कार्यालयों की मांग पर पहली बार संचालित किया जा रहा है।

संलग्नक 1(11)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: सीधे भर्ती और विभागीय पदोन्नति पाए स ले प अ/ पर्यवेक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (ऐसे कार्मिक जिन्होंने वर्ष 2022 की परीक्षा पास की हो और प्रशिक्षण ना लिया हो)।

दिनांक: 29 जुलाई 2024 से 06 सितंबर 2024

अवधि: 30 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) प्रतिभागी बुनियादी लेखांकन और लेखा परीक्षा कार्यों के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे क्योंकि इससे उन्हें कार्यात्मक ज्ञान बढ़ाने और अपने कार्यस्थल पर इसे कुशलतापूर्वक लागू करने में मदद मिलेगी और सॉफ्ट कौशल के ज्ञान से मदद मिलेगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत गुण हैं जो अधिकारियों के कार्यस्थल पर काम और बातचीत को प्रभावित करते हैं।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- एनएएए शिमला में शीर्ष के दस स ले प अ के साप्ताहिक अभिमुखी कार्यक्रम के संबंध में मुख्यालय की हिदायतों से परिचय।
- विभाग की संगठनात्मक संरचना।
- आत्मविश्वास के साथ संचार करना
- उत्साह।
- कर और कर कानून।
- **सूचना तकनीकी और सूचना तकनीकी तंत्र लेखापरीक्षा-** आवश्यकता विश्लेषण, हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर की खरीद/ विकास से लेकर सभी चरण। सॉफ़्टवेयर विकास जीवन चक्र, उत्पादन परिवेश में लागू होना, परिवर्तन प्रबंधन, अनुबंध प्रबंधन; व्यापार निरंतरता और आपदा पुनर्प्राप्ति योजना और इसके परीक्षण, सुरक्षा और पहुंच सहित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आईटी सुरक्षा पहलू (केस स्टडीज के साथ); ईआरपी सिस्टम/फ्रंट-एंड और बैक-एंड सिस्टम जैसे आईटी अनुप्रयोगों को समझना, एमआईएस और इकाई के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित आईटी सिस्टम की पहचान करना, आईटी एप्लिकेशन और उसके इंटरफेस की संरचना और क्षेत्रों को समझना, फ्रंट-एंड और बैक-एंड तक पहुंचने की व्यवस्था करना। डेटा निष्कर्षण और वास्तविक लेखापरीक्षा के लिए आवेदन; डेटा संचालित जोखिम मूल्यांकन और जोखिम मानदंड स्थापित करने के लिए उपयोगकर्ता डेटाबेस से जोखिम प्रोफाइलिंग, विश्लेषण और वास्तविक ऑडिट के लिए नमूना आकार और नमूना चयन, अंग्रेजी में प्रश्न लिखना, अंग्रेजी प्रश्नों को डेटा निष्पादन योग्य क्वेरी और डेटा निष्कर्षण में परिवर्तित करने के लिए ऑडिटी की मदद लेना, प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना और डेटा की शुद्धता, डेटा विश्लेषण, और वास्तविक ऑडिट का संचालन। (जीएसटी ऑडिट/कस्टम ऑडिट और आईटी वातावरण में किसी अन्य ऑडिट का अनुभव सिखाया जाएगा);
- **कंप्यूटर सहायता प्राप्त ऑडिट तकनीकें (सीएएटीएस)-** ऑडिट टूल के रूप में एमएस एक्सेल - उन्नत सुविधाएँ और अभ्यास, ऑडिट टूल के रूप में एमएस-एक्सेस - उन्नत सुविधाएँ, विश्लेषण और अभ्यास; इंटरैक्टिव डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण (आईडीईए) - आईडीईए से परिचय - निष्कर्षण, विश्लेषण और अभ्यास।
- प्रतिभागियों द्वारा समूह प्रस्तुति (आरसीबी और केआई द्वारा विषय चयन)।
- एमएस-वर्ड - उन्नत सुविधाएँ।
- आईए&एडी में कार्यालय प्रक्रिया।

- हिंदी राजभाषा नीति- पर्यवेक्षण एवं रिपोर्टिंग।
- भारत सरकार की वेबसाइट डिजिटल इंडिया (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देश।
- प्रारूपण कौशल-नोटिंग और प्रारूपण (साधारण पत्र, अर्ध-सरकारी ।पत्र, परिपत्र, यूओ); केस स्टडीज के साथ फील्ड ऑडिट के दौरान ऑडिट टिप्पणियों का मसौदा तैयार करने पर असाइनमेंट; रिपोर्ट लेखन (आईआर) पर असाइनमेंट; सीएजी की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए ऑडिट पैरा के प्रारूपण पर असाइनमेंट।
- पारदर्शिता।
- प्रस्तुतियाँ (प्रत्येक प्रतिभागी की प्रस्तुति कौशल का आकलन करने के लिए)।
- समस्या का रचनात्मक हल।
- बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान।
- प्रत्यायोजन वित्तीय शक्ति नियम 1978
- टीम गतिविधि (अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए)।
- विभाग में व्यावसायिक विकास।
- लिंग संवेदीकरण।
- समग्र विधायी व्यवस्थाएं और संगठनात्मक संरचना, स्थानीय निकायों की लेखा प्रणाली और स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा (धारा विशिष्ट विषय पर आधारित केस अध्ययन)।
- विनियोजन और वित्त खाते (एसएफएआर विश्लेषण/सस्पेंस/जेई/यूजीएफएआर से संबंधित मामले का अध्ययन)।
- विनियोग एवं वित्त लेखा तैयार करने की यात्रा।
- पाठ्येतर गतिविधियाँ (दिन भर की छुट्टी सहित)।
- आईटी सुरक्षा उपाय।
- कॉर्पोरेट कानून और वाणिज्यिक कानूनों का अवलोकन।
- आरटीआई अधिनियम **2005**
- परिवर्तन प्रबंधन।
- कार्यस्थल पर पर्यवेक्षी कौशल और पारस्परिक संबंध, सलाह कौशल।
- एसक्यूएल एक ऑडिट टूल के रूप में - सुविधाएँ, विश्लेषण और अभ्यास।
- खेल/खेल में सीखना।
- सार्वजनिक ऋण प्रबंधन।
- तालिकपत्रऔर नाइम (Knime)- विशेषताएं, विश्लेषण और अभ्यास।
- वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार करना।
- अधिकारिक बैठकों की तैयारी।
- वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा (केस अध्ययन के साथ)।
- लेखापरीक्षा से परिचय और अनुप्रयोग - हाइव और एचएडीओओपी।
- विरोधाभास, समाधान और बातचीत।
- निर्णय लेना।
- सांस्कृतिक गतिविधियाँ।
- लोक प्रशासन में नैतिकता और आचार संहिता।
- वॉक थ्रू - ई-ऑफिस; वॉक थ्रू - ई-एचआरएमएस।
- स्वायत्त निकायों का अनुपालन और प्रमाणन (केस अध्ययन के साथ)।
- परिणाम आधारित लेखापरीक्षा।
- ओआईओएस।
- मूल्यांकन – परीक्षण।

प्रशिक्षण विधि: व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, भूमिका निर्वाह, केस स्टडीज़ और पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), प्रश्नोत्तरी।

संभावित प्रतिभागी: वे कार्मिक जिन्होंने 2022 की परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रशिक्षण नहीं लिया है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: विभाग के ग्रुप क और ख के अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(12)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: लेखापरीक्षा प्रेषण विषय पर मॉड्यूलर प्रशिक्षण (लेखापरीक्षक/ लेखाकार से वलेपअ)

दिनांक: 12 अगस्त 2024 से 14 अगस्त 2024

अवधि: 3 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) इस प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागी सक्षम होंगे:
- ऑडिट रिपोर्टिंग पर आईएसएसएआई के दिशानिर्देशों और एसएआई के रिपोर्टिंग मानकों के महत्व के बारे में।
- एक लेखापरीकक्षा पैराग्राफ को ऐसे ड्राफ्ट कर सकेंगे जिनमें पैराग्राफ के विभिन्न घटक और आईएसएसएआई की आवश्यकताओं के अनुसार सिफारिशें शामिल होंगी।
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस प्रकार लिख सकेंगे जो पहले से तय किए गए ऑडिट उद्देश्यों से जुड़े हों और सुविधाकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन किए गए आईएसएसएआई की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त दस्तावेज़ीकरण द्वारा समर्थित हों।
- लेखापरीक्षा पैराग्राफ इस प्रकार लिख सकेंगे जो कि आईएसएसएआई की आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित और निष्पक्ष होंगे।
- अनुपालन ऑडिट रिपोर्टिंग मानकों से संबंधित आईएसएसएआई आवश्यकताओं की पहचान कर सकेंगे।
- अनुपालन और प्रदर्शन ऑडिट के लिए ऑडिट मेमो, निरीक्षण रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट सहित ऑडिट प्रक्रिया के सभी चरणों के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट का मसौदा तैयार करते समय उपयोग की जाने वाली भाषा और संरचना के संबंध में सीएजी और आईएसएसएआई द्वारा जारी दिशानिर्देश लागू कर सकेंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- आइस ब्रेकिंग - ऑडिट रिपोर्टिंग से परिचय जिसमें ऑडिट रिपोर्टिंग (स्तर 2 और स्तर 3) पर आईएसएसएआई दिशानिर्देश शामिल हैं।
- प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्टिंग - एक रिपोर्ट में एक पैराग्राफ के घटकों पर ध्यान देने के साथ एक ऑडिट पैराग्राफ के घटक।
- योजना बनाते समय पहचाने गए ऑडिट उद्देश्यों और एडीएम से जुड़े ऑडिट उद्देश्यों को कवर करने वाली ऑडिट रिपोर्ट के बीच संबंध पर जोर; लेखापरीक्षा कार्य का दस्तावेज़ीकरण।
- अच्छे ऑडिट साक्ष्य की विशेषताओं पर ध्यान देने के साथ संतुलित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग; लेखापरीक्षित एजेंसियों की प्रतिक्रिया और विचारों पर विचार; हालिया पीए पर केस स्टडी।
- ऑडिट रिपोर्ट लिखने में सीएजी कार्यालय के दिशानिर्देश - भाषा और संरचना, शैली गाइड; ऑडिट मेमो, निरीक्षण रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट; ऑडिट निष्कर्षों को अनुक्रमित करना और ऑडिट पैराग्राफ की संरचना करना; ऑडिट रिपोर्टों में प्रयुक्त भाषा में सामान्य खामियाँ।
- अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग - आईएसएसएआई 4000 और अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश, 2016 में परिकल्पित अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर ध्यान देने के साथ अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एक केस अध्ययन के साथ)।

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), अभ्यास और केस स्टडी।

संभावित प्रतिभागी: इस पाठ्यक्रम के लिए सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा और एफ़&सी लेखापरीक्षा का कार्य कर रहे वलेपअ/ लेपअ/ सलेपअ/ वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/ लेखापरीक्षकों को नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: संकाय को संसाधन पूल से लिया जाएगा जिसमें विभाग के समूह ए और बी अधिकारी शामिल होंगे।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(13)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: केसी विषय - ऑडिटिंग, इंड एएस, लेखांकन मानकों और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के मानकों पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईए & एएस अधिकारी, वलेपअ और सलेपअ)

दिनांक: 26 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2024

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के लिए ज्ञान केंद्र होने के नाते**,** वाणिज्यिक लेखापरीक्षा या पीएसयू के लेखापरीक्षा से जुड़े आईए और एएस अधिकारियों और वलेपअ और सलेपअ के लिए इस विषय पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है।

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) प्रतिभागियों को ऑडिटिंग मानकों, इंडएएस, लेखांकन मानकों और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
-

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- ऑडिटिंग पर आईसीएआई के मानक।
- इंड एएस और लेखा मानकों के लिए प्रयोज्यता और अधिदेश।
- महत्वपूर्ण इंड एएस।
- अन्य इंड एएस का अवलोकन।
- महत्वपूर्ण लेखांकन मानक।
- अन्य मानकों का अवलोकन।
- कंपनी अधिनियम**,** 2013 की अनुसूची III में संशोधन।
- वित्तीय विवरण का विश्लेषण।
- केस स्टडीज पर सत्र (सरकारी कंपनियों और पीएसयू पर आधारित केस स्टडीज)।

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, प्रश्नोत्तरी**,** व्यावहारिक सत्र और केस स्टडी**,** सामूहिक चर्चा।

संभावित प्रतिभागी: इस पाठ्यक्रम के लिए सिविल लेखापरीक्षा**,** वाणिज्यिक लेखापरीक्षा**,** रेलवे लेखापरीक्षा**,** रक्षा लेखापरीक्षा और एफ़&सी लेखापरीक्षा का कार्य कर रहे वलेपअ/ लेपअ/ सलेपअ/ वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/ लेखापरीक्षकों को नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: संकाय को संसाधन पूल से लिया जाएगा जिसमें विभाग के समूह ए और बी अधिकारी शामिल होंगे।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(14)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: वस्तु एवं सेवा कर विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (लेखापरीक्षक/ लेखाकार से वरिष्ठ लेखापरीक्षक)

दिनांक: 02 सितंबर 2024 से 06 सितंबर 2024

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: वस्तु एवं सेवा कर विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर और मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है।

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) प्रतिभागी वस्तु एवं सेवा कर के कारण अप्रत्यक्ष कराधान में हुए बदलावों के बारे में समझ सकेंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- राज्यों को मुआवजा अधिनियम में हाल के संशोधन सहित सीजीएसटी, एसजीएसटी और जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियमों से परिचय और अवलोकन।
- आईजीएसटी अधिनियम का अवलोकन, आईजीएसटी अधिनियम के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान।
- केंद्र और राज्य के बीच वितरण प्रक्रिया (केंद्र और राज्य के बीच राजस्व साझाकरण), जीएसटी और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, मुआवजा उपकर और इसका वितरण।
- माल और सेवा की आपूर्ति का अर्थ और दायरा।
- लेखापरीक्षक के दृष्टिकोण से समग्र और मिश्रित आपूर्ति का महत्व; जीएसटी में अनुसूची **I, II, III**
- आईजीएसटी अधिनियम के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का स्थान कैसे निर्धारित करें।
- प्रादेशिक जल में आपूर्ति और आपूर्ति के सामान का निर्यात।
- वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का समय और मूल्यांकन, उस पर जीएसटी की मांग और वसूली, जीएसटी से लेवी और छूट, रिवर्स चार्ज तंत्र, जीएसटी, सीमा शुल्क और एसएडी के संक्रमणकालीन प्रावधान।
- जीएसटी के तहत फॉर्म, रिटर्न, रिटर्न दाखिल करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) और कंपोजीशन स्कीम का मिलान।
- पंजीकरण, व्यवसाय प्रक्रिया; जीएसटी में ऑडिटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स, हाई सी, निर्यात, आयात, शाखा हस्तांतरण, पारगमन लेनदेन में बिक्री।
- जीएसटी प्रणाली के तहत लेखांकन प्रक्रिया।
- जीएसटी में ऑडिट, मूल्यांकन, अनंतिम मूल्यांकन; निरीक्षण, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी, अपराध, दंड, अपील, पुनरीक्षण।
- "लागत लेखापरीक्षा और लागत रिकॉर्ड" जीएसटी परिप्रेक्ष्य।
- जीएसटी के तहत कर का भुगतान, जीएसटी के तहत कर का रिफंड; जीएसटीएन: मुख्य विशेषताएं, जीएसटीएन पर फ्रंट एंड बिजनेस प्रक्रिया।
- ई-वे बिल (केस स्टडी के साथ)।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों को कैसे सत्यापित करें; जीएसटी अधिनियम और इसके कार्यान्वयन में मुनाफाखोरी विरोधी धाराएं; इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी); आईजीएसटी और फंड ट्रांसफर का

क्रॉस-उपयोग, ई-कॉमर्स और जॉब वर्क; जीएसटी के तहत जॉब वर्क, टीडीएस, टीसीएस के लिए संक्रमणकालीन प्रावधान।

- जीएसटी के तहत ऑडिट में सीएजी की भूमिका; जीएसटी में ई2ई ऑडिट जनादेश; अधिनियम के संक्रमणकालीन प्रावधानों की लेखापरीक्षा, संक्रमणकालीन क्रेडिट; जीएसटी (केंद्र कर, राज्य कर और पीएसयू आदि) का ऑडिट करते समय देखे जाने वाले रिकॉर्ड (सीएजी की रिपोर्ट पर केस स्टडी और समूह चर्चा)
- समय-समय पर जीएसटी में नवीनतम संशोधन।
- जीएसटी रिपोर्ट पर केस स्टडी।

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा) अभ्यास और केस स्टडी।

संभावित प्रतिभागी: जीएसटी आधारित लेनदेन की लेखापरीक्षा करने वाले राजस्व लेखापरीक्षा विंग में लगे कार्मिकों को पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया जा सकता है। यह कोर्स लेखा विंग के लिए नहीं है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: विभाग के ग्रुप क और ख के अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(15)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफएएएम, वीएलसी का उपयोग कर लेखापरीक्षा और एसएफएआर की तैयारी सहित) (लेखापरीक्षक/ लेखाकार से वरिष्ठ लेखापरीक्षक)।

दिनांक: 23 सितंबर 2024 से 27 सितंबर 2024

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) प्रतिभागियों को वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा यानी एफएए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वित्त और विनियोग खातों के प्रमाणीकरण और एसएफएआर के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

  प्रतिभागी समझ सकेंगे;
- सरकार में बजट एवं लेखा की व्यवस्था।
- खातों की तैयारी और संकलन का अवलोकन।
- मासिक नागरिक खातों की लेखापरीक्षा।
- एफएएएम और एफएएजी के अनुसार विनियोग खाते की संरचना, वित्त खातों की संरचना, एफएएएम और एफएएजी के अनुसार वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा।
- विनियोग खातों की लेखापरीक्षा और वित्त खातों की लेखापरीक्षा।
- वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के लिए सांख्यिकीय नमूनाकरण और आईडिया।
- राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- बजट - अर्थ, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट के तत्व।
- खातों और वीएलसी की तैयारी और संकलन का अवलोकन।
- ट्रेजरी खातों और अनुपालन खातों की लेखापरीक्षा (एफएएएम का परिशिष्ट । और एफएएजी का अनुलग्नक ई)।
- एजी कार्यालय और अंतर-सरकारी लेनदेन में होने वाले लेनदेन की लेखापरीक्षा (एफएएजी का अनुबंध जी-श्रेणी 2)
- मासिक सिविल खातों की लेखापरीक्षा (एफएएएम का परिशिष्ट। और एफएएजी का अनुबंध जी और एच)
- विनियोग खातों की संरचना, एफएएएम और एफएएजी के अनुसार सरकारी खातों का प्रमाणन लेखापरीक्षा।
- वित्त खातों की संरचना, केस स्टडीज के साथ विनियोग खातों के साथ जुड़ाव।
- वित्त खातों की लेखापरीक्षा (एफएएएम का परिशिष्ट। और एफएएजी का अनुलग्नक I)
- विनियोग खातों की लेखापरीक्षा (FAAM का परिशिष्ट। और FAAG का अनुलग्नक J)
- सांख्यिकीय नमूनाकरण का परिचय; वाउचर के चयन के लिए FAA में IDEA का उपयोग।
- मौद्रिक इकाई नमूनाकरण का उपयोग - व्यावहारिक सत्रों के साथ विश्लेषण)
- एसएफएआर के अध्याय I, II, III, IV और V की तैयारी।

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), व्यावहारिक सत्र अभ्यास और केस स्टडी।

संभावित प्रतिभागी: (वरिष्ठ) लेखा परीक्षक/लेखाकार, पर्यवेक्षक, सलेपअ से लेकर राज्य खातों और एसएफएआर और ए & ई कार्यालयों के सिविल लेखापरीक्षा सत्यापन में लगे वलेपअ को पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** प्रशिक्षण संबंधित उपयोगकर्ता कार्यालयों द्वारा संकाय के नामांकन के बाद आयोजित किया जाएगा। विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त समूह ए और बी अधिकारियों को संकाय के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(16)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: ज्ञान केंद्र विषय - वाणिज्यिक लेखापरीक्षा पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईए&एएस अधिकारी, वलेपअ और सलेपअ) - विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण कंपनियों का लेखापरीक्षा

दिनांक: 21 अक्तूबर 2024 से 24 अक्तूबर 2024

अवधि: 4 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: वाणिज्यिक लेखापरीक्षा का ज्ञान केंद्र होने के कारण, आईए&एएस अधिकारियों और अन्य कर्मियों के लिए इस विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखना प्रस्तावित है।

- **शिक्षण उद्देश्य**: (I) प्रतिभागी बिजली उत्पादन, संचरण और वितरण कंपनियों में शामिल विभिन्न गतिविधियों/ संचालनों को समझने में सक्षम होंगे
- बिजली कंपनियों के विभिन्न कार्यों की लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण/ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जागरूकता प्राप्त कर सकेंगे और फील्ड लेखापरीक्षा में उनका उपयोग कर सकेंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- विद्युत अधिनियम का अवलोकन और विद्युत अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान।
- विद्युत उत्पादन कंपनियाँ - संगठन संरचना।
- बिजली उत्पादन स्टेशन - हाइड्रो, थर्मल और गैस पावर स्टेशन - बिजली स्टेशनों का अवलोकन, बिजली स्टेशनों की कार्यप्रणाली - विभिन्न प्रमुख विभागों की भूमिका - कोयला प्रबंधन, अन्य सामग्री प्रबंधन, संयंत्रों का संचालन और रखरखाव और वित्तीय प्रबंधन।
- उत्पादन कंपनियों द्वारा किए गए बिजली खरीद समझौते - राजस्व की वसूली।
- केस स्टडीज़ के साथ उत्पादक कंपनियों का अनुपालन और वित्तीय लेखापरीक्षा (वित्तीय विवरण में प्रमुख क्षेत्रों सहित)।
- विद्युत संचरण कंपनियाँ - संगठन संरचना।
- ट्रांसमिशन कंपनियों के कामकाज का अवलोकन - सबस्टेशनों, ट्रांसमिशन लाइनों, पावर ट्रांसफार्मर, सामग्री प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन का निर्माण, संचालन और रखरखाव।
- बिजली के संचरण, चालान जारी करने और राजस्व की वसूली के लिए समझौता।
- केस स्टडीज के साथ ट्रांसमिशन कंपनियों का अनुपालन और वित्तीय ऑडिट (वित्तीय विवरण में प्रमुख क्षेत्रों सहित)।
- वितरण कंपनियों के कामकाज का अवलोकन - सबस्टेशनों, उच्च और निम्न तनाव लाइनों, वितरण ट्रांसफार्मर, सामग्री प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन का निर्माण, संचालन और रखरखाव।
- एलटी और एचटी मीटर की स्थापना, मरम्मत और रखरखाव, बिल जारी करना, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं पर टैरिफ कार्यान्वयन और राजस्व की वसूली।
- राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन।
- बिजली खरीद समझौता (पीपीए) दर्ज करना, उसका कार्यान्वयन।
- केस अध्ययन के साथ वितरण कंपनियों का अनुपालन और वित्तीय ऑडिट (वित्तीय विवरण में प्रमुख क्षेत्रों सहित)।
- शुल्क निर्धारण सहित बिजली कंपनियों के कामकाज में सीईआरसी और एसईआरसी की भूमिका।

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, प्रश्नोत्तरी, व्यावहारिक सत्र और केस स्टडीज, सामूहिक चर्चा।

संभावित प्रतिभागी: वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों में आईए& एएस अधिकारी**,** वलेपअ और सलेपअ या जिन्हें वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** विभाग के अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

यह प्रशिक्षण क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई में पहली बार संचालित किया जा रहा है।

संलग्नक 1(17)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: ज्ञान केंद्र विषय - ऑडिटिंग, इंड एएस, लेखांकन मानकों और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण पर मानकों पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईए& एएस अधिकारी**,** वलेपअ और सलेपअ)

दिनांक: 04 नवंबर 2024 से 08 नवंबर 2024

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के लिए ज्ञान केंद्र होने के नाते**,** वाणिज्यिक लेखापरीक्षा या पीएसयू के लेखापरीक्षा से जुड़े आईए& एएस अधिकारी**,** वलेपअ और सलेपअ के लिए इस विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रतिभागियों को ऑडिटिंग मानकों, इंड एएस, लेखांकन मानकों और वित्तीय विवरणों के विश्लेषण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- ऑडिटिंग पर आईसीएआई के मानक
- **IndAS** और लेखा मानकों के लिए प्रयोज्यता और अधिदेश
- महत्वपूर्ण इंड एएस
- अन्य इंड एएस का अवलोकन
- महत्वपूर्ण लेखांकन मानक
- अन्य मानकों का अवलोकन
- कंपनी अधिनियम**,** 2013 की अनुसूची III में संशोधन
- वित्तीय विवरण का विश्लेषण
- संसाधनों को पूल करके केस स्टडीज पर सत्र (सरकारी कंपनियों और पीएसयू पर आधारित केस स्टडीज)

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, प्रश्नोत्तरी**,** व्यावहारिक सत्र और केस स्टडीज**,** सामूहिक चर्चा**।**

संभावित प्रतिभागी: वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों में आईए& एएस अधिकारी**,** वलेपअ और सलेपअ या जिनके पास वाणिज्यिक लेखांकन/लेखा सिद्धांतों का बुनियादी ज्ञान है और जिन्हें इंड एएस/ लेखा मानकों द्वारा शासित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा/ विश्लेषण का काम दिया जा सकता हो **,** उन्हें इसके लिए नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** विभाग के अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(18)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: ज्ञान केंद्र विषय - क्रिप्टो मुद्राओं पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईए& एएस अधिकारी और अन्य अधिकारी)

दिनांक: 11 नवंबर 2024 से 12 नवंबर 2024

अवधि: 2 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: क्रिप्टो करेंसी के लिए ज्ञान केंद्र होने के नाते यह कार्यक्रम मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाता है**।**

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रतिभागी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान सकेंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- क्रिप्टोकरेंसी और इसके काम करने के तरीके के बारे में संक्षिप्त जानकारी।
- ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी-इसकी संरचना और ब्लॉक चेन की डिजाइन-कार्यप्रणाली-ब्लॉक चेन के प्रकार
- क्रिप्टोकरेंसी के प्रकार
- भारत में क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कानून
- भारत में क्रिप्टो करेंसी पर कराधान
- डिजिटल रुपया-इसकी वर्तमान स्थिति

प्रशिक्षण विधि: प्रस्तुतियों के साथ व्याख्यान, परस्परिक सत्र, सामूहिक चर्चा**।**

संभावित प्रतिभागी: इस प्रशिक्षण के लिए आईए& एएस और अन्य अधिकारी नामांकित किए जा सकते हैं।
अतिरिक्त जानकारी:
संकाय**:** संकाय के लिए बाहरी विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:
यह प्रशिक्षण मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई में पहली बार संचालित किया जा रहा है।

संलग्नक 1(19)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: ज्ञान केंद्र विषय - कॉर्पोरेट वित्त पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईए& एएस**,** वलेपअ और सलेपअ)

दिनांक: 18 नवंबर 2024 से 22 नवंबर 2024

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: ज्ञान केंद्र विषय होने के नाते**,** यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आईए& एएस अधिकारियों और अन्य कर्मियों के लिए 'कॉर्पोरेट वित्त' विषय पर आयोजित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) कार्यक्रम के अंत तक प्रतिभागी समझने की स्थिति में होंगे कि;

- कॉर्पोरेट वित्त से संबंधित विभिन्न प्रमुख नियम, अवधारणाएं और पहलू और कॉर्पोरेट वित्त में वित्तपोषण, निवेश और कार्यशील पूंजी और अन्य कार्यों से संबंधित विकल्पों के बारे में जान सकेंगे।
- कॉर्पोरेट वित्त के क्षेत्र से संबंधित प्रमुख लेखापरीक्षा जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- परियोजना नियोजन और लीजिंग समझौतों से संबंधित प्रमुख शर्तों का अवलोकन।
- कार्यशील पूंजी प्रबंधन से संबंधित प्रमुख शर्तों का अवलोकन।
- निवेश का निर्णय।
- वित्तपोषण निर्णय (बाज़ार उधार सहित)।
- विदेशी मुद्रा**,** उसके जोखिम और जोखिम प्रबंधन से संबंधित प्रमुख शर्तों का अवलोकन।
- कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन।
- डेरिवेटिव का उपयोग करते हुए हेजिंग।
- कॉर्पोरेट विलय**,** अधिग्रहण और पुनर्गठन और विनिवेश से संबंधित प्रमुख शर्तों का अवलोकन।
- पीएसयू के संदर्भ में मूल्यांकन**,** अधिग्रहण और विनिवेश जोखिम से संबंधित लेखापरीक्षा के मुद्दे और केस स्टडीज़।
- बाहरी कार्यक्षेत्रों की यात्रा।

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, परस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), बाहरी कार्यक्षेत्रों की यात्रा**,** प्रश्नोत्तरी और केस स्टडीज़**।**

संभावित प्रतिभागी: आईए& एएस अधिकारी**,** वाणिज्यिक लेखा परीक्षा में लगे वलेपअ और सलेपअ और अन्य कर्मी जो अपने काम में कॉर्पोरेट वित्त के ज्ञान को लागू कर सकते हैं**,** उन्हें पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** संकाय को संसाधन पूल से लिया जाएगा जिसमें सेबी**,** एनआईएसएम**,** आरबीआई**,** पीएसयू और अन्य पेशेवरों के सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मियों सहित विषय वस्तु विशेषज्ञ शामिल होंगे।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(20)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: ज्ञान केंद्र विषय - कंपनी अधिनियम 2013 पर अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईए& एएस, वलेपअ और सलेपअ)

दिनांक: 25 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024

अवधि: 4 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के लिए ज्ञान केंद्र होने के नाते आईए& एएस अधिकारियों, वलेपअ और सलेपअ, जो पीएसयू की लेखापरीक्षा में लगे हुए हैं, के लिए प्रस्तावित है

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रतिभागियों को कंपनी अधिनियम 2013 पर एक सिंहावलोकन और प्रमुख पहलुओं को जानने में लाभ होगा।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- कंपनी अधिनियम 2013, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण और इसकी भूमिका का अवलोकन
- कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III से परिचय, अनुसूची III का भाग I
- देनदारियों के विभिन्न घटकों का चित्रण। शेयर पूंजी, आरक्षित निधि और अधिशेष, दीर्घकालिक उधार, व्यापार देय और अन्य देनदारियां
- परिसंपत्तियों के विभिन्न घटकों का चित्रण। वर्तमान और गैर-वर्तमान - अचल संपत्ति, निवेश, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष, अन्य वस्तुएं और प्रकटीकरण
- कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III का भाग II - लाभ और हानि खाते का विवरण - लाभ और हानि खातों के घटक। संचालन से राजस्व, अन्य आय, उपभोग की गई सामग्री की लागत, कर्मचारी लाभ व्यय, वित्त लागत, मूल्यह्रास, अन्य वस्तुएं आदि और अतिरिक्त जानकारी
- समेकित वित्तीय विवरण और समेकन के तरीके
- सरकारी कंपनियाँ और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य कंपनियाँ
- वार्षिक रिपोर्ट - निदेशकों की भूमिका, खाता और लेखापरीक्षा
- सीएजी; शक्तियां, पीएसयू लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, वित्तीय विवरणों का निर्देशन/ पुनर्निर्माण/ संशोधन
- लागत लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, सचिवीय लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा समिति
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और कॉर्पोरेट प्रशासन
- केस स्टडी - कंपनी अधिनियम 2013 पर विशेष जोर देने के साथ नमूना वार्षिक रिपोर्ट और उस पर सीएजी की टिप्पणियों का वितरण, मुख्यालय द्वारा जारी टिप्पणियों/ शून्य टिप्पणियों का प्रारूप - केस स्टडी और सामूहिक चर्चा

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, प्रश्नोत्तरी, व्यावहारिक सत्र और केस स्टडीज़, सामूहिक चर्चा।

संभावित प्रतिभागी: वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों में आईए& एएस, वलेपअ और सलेपअ या जिन्हें कंपनियों के लेखापरीक्षा और इंड एएस/ लेखा मानकों द्वारा शासित वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का काम दिया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** विभाग के अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(21)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: स्थानीय निकायों (पीआरआई और यूएलबी) की लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (वलेपअ, लेखापरीक्षक के लिए)

दिनांक: 09 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024

अवधि: 4 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रतिभागी स्थानीय निकायों (पीआरआई/यूएलबी) की लेखापरीक्षा के बारे में जानकारी हासिल करने और अपने लेखापरीक्षा कौशल को बढ़ाने में सक्षम होंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- पीआरआई और यूएलबी से परिचय
- अधिनियमों के प्रावधान
- कर्तव्यों और जिम्मेदारियां
- लेखांकन और बजट प्रारूप
- लेन-देन-निविदाओं और अनुबंधों की लेखापरीक्षा
- योजना लेनदेन की लेखापरीक्षा।
- सामाजिक अंकेक्षण
- प्राप्तियों की लेखापरीक्षा।
- लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिलचस्प टिप्पणियों पर चर्चा

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, परस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), व्यावहारिक सत्र**,** अभ्यास और केस स्टडीज।

संभावित प्रतिभागी: लेखापरीक्षक से वलेपअ**,** जो स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करते हों।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** प्रशिक्षण संबंधित उपयोगकर्ता कार्यालयों द्वारा संकाय के नामांकन के बाद आयोजित किया जाएगा। विभाग के सेवारत और सेवानिवृत्त समूह ए और बी अधिकारियों को संकाय के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(22)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: एमसीटीपी लेवल 2 (सलेपअ, जिनकी 7 वर्ष या इससे अधिक हो)

दिनांक: 16 दिसंबर 2024 से 21 दिसंबर 2024

अवधि: 6 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रशिक्षण का उद्देश्य एक पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल अधिकारी विकसित करना है जो विभाग की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो। एमसीटीपी की केंद्रीय भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों के पास उन्हें सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण है।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- मूल्य: अवधारणाएं, परिभाषा, संगठनात्मक मूल्यों की अवधारणा, मुख्य कंपनी मूल्य
- नैतिकता, नैतिक मूल्य: नैतिकता, नैतिक मूल्य और मान्यताएँ
- मूल्य और कार्यस्थल: चरित्र लक्षण और व्यक्तित्व
- व्यक्तिगत मूल मूल्य और सीएजी के मूल मूल्य
- प्रभावी संचार - अवधारणाएं, परिभाषा, संचार की बाधाएं, सामाजिक कौशल और शिष्टाचार, सक्रिय श्रवण कौशल, सीएजी की मीडिया नीति
- समूह गतिशीलता - समूह गतिशीलता, इसकी अवधारणाएं और कार्य, विभिन्न सिद्धांत आदि पर चर्चा।
- समूह विकास एवं समूह निर्माण - समूह विकास एवं समूह निर्माण पर चर्चा; समूहों और सोच में सामाजिक प्रभाव; समूह की समस्याएँ/संघर्ष और उनके समाधान के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ
- प्रेरणा, मास्लो, हर्ज़बर्ग आदि के प्रेरक सिद्धांत - प्रेरणा का महत्व, विभिन्न सिद्धांत, प्रेरणा द्वारा कार्य निष्पादन में सुधार
- प्रेरणा - भूमिका और व्यक्तित्व - व्यक्तित्व के प्रकार, इसके लक्षण, विभिन्न व्यक्तित्व वाले लोगों को कैसे प्रेरित करें
- प्रेरणा - विशिष्ट मनोबल के मुद्दों को संबोधित करना - समझें कि इस प्रकार के निर्णयों के कार्यान्वयन पर कर्मचारियों के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा
- वित्तीय बाज़ार, पूंजी बाज़ार - वित्तीय बाज़ारों के प्रकार, वित्तीय बाज़ारों के फायदे और नुकसान, वित्तीय बाज़ारों के कार्य
- व्यक्तिगत नैतिकता, व्यावसायिक नैतिकता, आचार संहिता - व्यक्तिगत और व्यावसायिक नैतिकता के बीच अंतर समझाना; सीएजी की आचार संहिता का कार्यान्वयन
- बिग डेटा दृष्टिकोण अपनाना - बिग डेटा क्या है? बड़े डेटा आयाम. ऑडिटिंग में बिग डेटा दृष्टिकोण अपनाना;
- आईटी प्रणाली, आईटी वातावरण में जोखिम और साइबर सुरक्षा का अवलोकन
- आईटी अधिनियम 2008, सीईआरटी-इन, ऑडिट में इकाई की आईटी प्रणाली और डेटा का लाभ उठाना
- लिंग संवेदीकरण, लिंग की अवधारणाएं, रूढ़िवादिता और इसका प्रभाव, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013
- बाहरी कार्यक्षेत्रों का दौरा।

• पर्यावरण एवं सतत विकास और संबंधित अवधारणाएँ - पर्यावरण और सतत विकास की मूल बातें; संसधारणीय विकास के लिए 2030 एजेंडा से परिचय; विकास और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम के अनुरूप व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, भूमिका निर्वाह, पारस्परिक सत्र (सामूहिक चर्चा), अभ्यास और केस स्टडीज, बाहरी कार्यक्षेत्रों का दौरा।

संभावित प्रतिभागी: सलेपअ, जिनकी 7 वर्ष या इससे अधिक हो, को नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय: विभाग के अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(23)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: प्रत्यक्ष कर और फेसलेस मूल्यांकन योजना (सलेपअ से वलेपअ)

दिनांक: 30 दिसंबर 2024 से 01 जनवरी 2025

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: फेसलेस मूल्यांकन योजना विषय पर प्रशिक्षण होने के कारण, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जिनके पास प्रत्यक्ष कर में कार्यसाधक ज्ञान है और उन सभी को लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित किया जाता है जो प्रत्यक्ष कर (आयकर विभाग) की लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

शिक्षण उद्देश्य: (I) इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आईटी विभाग में फेसलेस मूल्यांकन और आईटी विभाग में जांच और खुफिया जानकारी एकत्र करने की आधुनिक तकनीकों की समझ विकसित करना। कर निर्धारण, संग्रह और मूल्यांकन से संबंधित आईटी विभाग के आवेदन के बारे में और आईटीबीए के मॉड्यूल का अवलोकन करना है।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

फेसलेस मूल्यांकन योजना –
- फेसलेस मूल्यांकन योजना का अवलोकन
- कानूनी ढाँचा - पुराना बनाम नया
- योजना की पृष्ठभूमि
- योजना के अपवाद
- योजना की संरचना और पदानुक्रम, फेसलेस मूल्यांकन केंद्र
- मूल्यांकन, तकनीकी, सत्यापन और समीक्षा इकाइयाँ और उनकी कार्यप्रणाली
- फेसलेस अपील, फेसलेस अपील की विशेषताएं और प्रक्रियाएं
- चीजों की नई योजना में ऑडिट के लिए आगे बढ़ने के तरीके पर समूह चर्चा
- कर प्रशासन में डेटा एनालिटिक्स का उपयोग
- आईटी विभाग की परियोजना अंतर्दृष्टि
- आईटी विभाग का अनुपालन पोर्टल
- आईटी लेनदेन विश्लेषण केंद्र
- अनुपालन प्रबंधन केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र
- ई-अभियान के अंतर्गत 'उच्च मूल्य लेनदेन' और महत्वपूर्ण लेनदेन'

आईटी विभाग का आयकर व्यवसाय अनुप्रयोग

- कर संग्रहण और मूल्यांकन से संबंधित आयकर विभाग के आवेदनों का अवलोकन
- आईटीबीए से परिचय
- आईटीबीए के मॉड्यूल
- आयकर ई-फाइलिंग मॉड्यूल
- आईटी रिटर्न और अन्य आईटी फॉर्म ऑनलाइन दाखिल करने के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध हैं
- आईटी विभाग का ट्रेसेस मॉड्यूल
- कर कटौती को कर निर्धारण से जोड़ना
- आईटी विभाग में ई-मूल्यांकन का अवलोकन

- आयकर रसीद ऑडिट में उपयोग किए जाने वाले एसएआई प्रत्यक्ष कर मॉड्यूल का अवलोकन
- आईटीबीए का ऑडिट मॉड्यूल
- केस रिकॉर्ड डाउनलोड करें
- आईटीबीए के डेटा का उपयोग करके ऑडिट की क्रमबद्ध प्रक्रिया

प्रशिक्षण विधि: व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, भूमिका निर्वाह, केस स्टडीज**,** प्रश्नोत्तरी**,** सामूहिक चर्चा।

संभावित प्रतिभागी: प्रत्यक्ष कर लेखापरीक्षा विभाग के सलेपअ और वलेपअ (आयकर विभाग)

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** विभाग के विषय वस्तु से संबन्धित अधिकारी।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

यह प्रशिक्षण मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई में पहली बार संचालित किया जा रहा है।

संलग्नक 1(24)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: वर्क्स लेखापरीक्षा और अनुबंध प्रबंधन (लेखापरीक्षक से सलेपअ)

दिनांक: 13 जनवरी 2024 से 17 जनवरी 2025

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रतिभागी खरीद, जीईएम पर सीवीसी दिशानिर्देशों सहित कार्य व्यय, अनुबंधों और परियोजनाओं की लेखापरीक्षा का अवलोकन कर सकेंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- लोक निर्माण लेखा प्रणाली की सामान्य रूपरेखा
- प्रमुख कार्यों का विश्लेषण
- परियोजनाओं की लेखापरीक्षा
- सड़क, भवन, सिंचाई परियोजना आदि जैसे निर्माणों की लेखापरीक्षा
- कार्यों का भौतिक सत्यापन
- दुकानों और भंडारण की लेखापरीक्षा
- निविदा की प्रक्रिया
- कार्यों के व्यय और निविदाओं की लेखापरीक्षा
- खरीद पर सीवीसी दिशानिर्देश
- **GeM**
- अनुबंध के कानून का प्रासंगिक हिस्सा
- अदालती निर्णयों और मध्यस्थता पर केस कानून
- अनुबंध के नए क्षेत्र, प्रबंधन अनुबंध, पट्टे, सेवा अनुबंध, बीओटी, बीओओ, बीएलओ, आरओटी, रूट और बोल्ट-अवधारणाएं और केस अध्ययन, टर्नकी अनुबंध
- परियोजना वित्तीय मूल्यांकन के लिए पूंजी बजटिंग।
- परियोजना निष्पादन, परियोजना निगरानी, (सीपीएम, पीईआरटी) में परियोजना प्रबंधन अवधारणा चरणों से परिचय

प्रशिक्षण विधि: व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, पारस्परिक सत्र, अभ्यास और केस स्टडीज।

संभावित प्रतिभागी: इस प्रशिक्षण के लिए लेखापरीक्षक से सलेपअ तक के कार्मिकों को नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** विभाग के ग्रुप क और ख के अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(25)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: लेखापरीक्षा में सांख्यिकी और नमूनाकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सलेपअ से वलेपअ)

दिनांक: 30 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025

अवधि: 2 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर और क्षेत्रीय सलाहकार समिति के निर्णयों के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रतिभागी लेखापरीक्षा में सांख्यिकी और नमूने की पहचान करने में सक्षम होंगे; डेटा का उपयोग कैसे करें और उसकी बेहतर समझ कैसे प्राप्त करें, तालिकाओं, ग्राफ़, आवृत्ति वितरण आदि का उपयोग करके लेखापरीक्षा डेटा प्रस्तुत करना, नमूना पद्धति और नमूना आकार तय करते समय ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान सकेंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- डेटा की बेहतर समझ हासिल करने के लिए लेखापरीक्षा में आंकड़ों का उपयोग कैसे करें
- तालिकाओं**,** ग्राफ़ और आवृत्ति वितरण का उपयोग करके लेखापरीक्षा डेटा प्रस्तुत करना
- लेखापरीक्षा में विभिन्न औसतों [केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप] का उपयोग।
- डिस्पर्सन (फैलाव) और स्क्युनेस (तिरछापन) के उपाय और विभिन्न लेखापरीक्षा स्थितियों में उनका उपयोग
- सहसंबंध और प्रतिगमन और लेखापरीक्षा में उनका उपयोग
- नमूनाकरण और उसके प्रकार जिसमें औसत और अनुपात जैसे मापदंडों का अनुमान शामिल है
- अनुपात (प्रतिशत) और माध्य/ औसत का बिंदु और अंतराल अनुमान
- केस अध्ययन के साथ त्रुटियों का अनुमान
- विभिन्न लेखापरीक्षा में सैंपलिंग के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग - केस स्टडीज
- लेखापरीक्षा में सांख्यिकीय नमूनाकरण - गुण और परिवर्तनीय नमूनाकरण - स्थितियाँ जहां उनका उपयोग लेखापरीक्षा में किया जा सकता है
- नमूना पद्धति और नमूना आकार तय करते समय ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु - विशेष रूप से जनसंख्या की परिवर्तनशीलता और आकार।
- नमूना आकार की गणना - प्रतिभागियों के लिए केस स्टडी/ व्यावहारिक अभ्यास
- समापन और चर्चा

प्रशिक्षण विधि: व्याख्यान, प्रस्तुतियाँ, अभ्यास पारस्परिक सत्र/ सामूहिक चर्चा, केस स्टडीज।

संभावित प्रतिभागी: उपरोक्त कार्यों में लगे सलेपअ और वलेपअ को नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** विषय वस्तु के जानकार विभाग के अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:
प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(26)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: निष्पादन लेखापरीक्षा और जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (पर्यवेक्षक, सलेपअ और वलेपअ)

दिनांक: 03 फरवरी 2025 से 07 फरवरी 2025

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रतिभागी निष्पादन लेखापरीक्षा और जोखिम आधारित लेखापरीक्षा के बारे में जान सकेंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- निष्पादन लेखापरीक्षा-सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के लिए रणनीतिक योजना और विषयों का चयन
- जोखिम की पहचान और मूल्यांकन**,** जोखिम मॉडल - व्यावहारिक अभ्यास/ केस अध्ययन
- निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश 2014 से परिचय और मुख्य विशेषताएं
- मानदंड-अवधारणाएँ और स्रोत
- ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स की अवधारणा
- साक्ष्य - प्रकार और स्रोत**;** लेखापरीक्षा परीक्षण कार्यक्रम की तैयारी**,** साक्ष्य एकत्र करना**,** विश्लेषण और दस्तावेज़ीकरण
- लेखापरीक्षा नमूनाकरण तकनीकें
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अवलोकन और रिपोर्टिंग के लिए निष्कर्ष विकसित करना
- उद्देश्य निर्धारित करना और एडीएम से जोड़ना और अंतिम रिपोर्ट से जोड़ना
- निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना
- ओआईओएस पर डेटा प्रविष्टि
- पूर्ण निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर केस अध्ययन

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम, प्रस्तुतियाँ, पारस्परिक सत्र, व्यावहारिक सत्र अभ्यास और केस स्टडीज के अनुरूप व्याख्यान।

संभावित प्रतिभागी: उपरोक्त कार्यों में लगे पर्यवेक्षक, सलेपअ और वलेपअ को नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:
संकाय**:** संकाय विभाग के समूह क और ख अधिकारियों तथा विभाग से बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:
प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(27)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: एमसीटीपी लेवल 3 (3 (सलेपअ और वलेपअ संवर्ग में, 12 वर्ष या अधिक मिश्रित, सेवा देने वालों के लिए)

दिनांक: 24 फरवरी 2025 से 01 मार्च 2025

अवधि: 6 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार संचालित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रशिक्षण का उद्देश्य एक पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल अधिकारी विकसित करना है जो विभाग की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो। एमसीटीपी की केंद्रीय भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारियों के पास उन्हें सौंपे गए कार्यों को प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अपेक्षित ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हो।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- संचार कौशल, आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ प्रभावी संचार
- विश्लेषणात्मक सोच, व्यवस्थित क्रमबद्ध समस्या समाधान
- समय और तनाव प्रबंधन
- ई-गवर्नेंस, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस (मानव सम्पदा) को समझना
- भूमिका परिवर्तन प्रबंधन और व्यवहारकुशल व्यवहार
- सरकारी वित्त का प्रबंधन - संघ और राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य
- आईटी पर्यावरण का लेखापरीक्षा
- टीम प्रबंधन
- हितधारकों की वचनबद्धता
- शासन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन
- आंतरिक नियंत्रण, धोखाधड़ी और फोरेंसिक
- सार्वजनिक व्यय और एफआरबीएम अधिनियम
- राजस्व-राजस्व के स्रोत-अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएँ
- वैश्विक पर्यावरण संकट को समझना- ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और पर्यावास हानि आदि
- पर्यावरण शासन
- विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का प्रबंधन
- बाहरी कार्यक्षेत्रों की यात्रा

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम, प्रस्तुतियाँ, भूमिका निर्वाह, पारस्परिक सत्र (समूह चर्चा), अभ्यास और केस स्टडीज, फील्ड विजिट के अनुरूप व्याख्यान

संभावित प्रतिभागी: सलेपअ और वलेपअ संवर्ग में, 12 वर्ष या अधिक मिश्रित, सेवा देने वालों को नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** विभाग के अधिकारी और बाहरी विशेषज्ञ।

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।

संलग्नक 1(28)
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घोषणा

पाठ्यक्रम शीर्षक: डीपीसी बैठक का संचालन, पैनल, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रभाव, रोस्टर और क्षे.क्ष.नि.ज्ञा.सं. अधिनियम। (लेखापरीक्षक/ लेखाकार, वलेपअ , वरिष्ठ निजी सचिव / निजी सचिव/ स्टेनो)

दिनांक: 03 मार्च 2025 से 07 मार्च 2025

अवधि: 5 दिन

जगह: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई

कार्यक्रम बैकग्राउंड: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान मुंबई के उपयोगकर्ता कार्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

शिक्षण उद्देश्य: (I) प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को पदोन्नति के संबंध में विभिन्न रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करना है, जिसमें पदोन्नति के लिए पैनल की तैयारी और संचालन, आरक्षण के लिए प्रक्रियाएं, रोस्टर का संक्षिप्त विवरण, एमएसीपी, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अनधिकृत अनुपस्थिति शामिल है। प्रतिभागी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

(II) पाठ्यक्रम विषय एवं बनावट

- वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट - उद्देश्य**,** महत्व**;** रिपोर्टिंग/ समीक्षा अधिकारी**,** आवधिकता**;** रिपोर्टिंग/ समीक्षा के लिए दिशानिर्देश**;** एपीएआर आदि की तैयारी के लिए समय-सारणी**;** प्रतिकूल प्रविष्टि - पदोन्नति आदि को प्रभावित करने वाली सुधारनीय और असुधार्य प्रतिकूल टिप्पणियाँ।
- पोस्ट आधारित रोस्टर की तैयारी**,** रखरखाव और संचालन
- आईए&एडी में विभिन्न संवर्गों के भर्ती नियम एवं पदों की पुष्टिकरण प्रक्रिया
- आईए&एडी में विभिन्न संवर्गों में नियुक्तियों और पदोन्नति में आरक्षण और रियायतें
- मुहरबंद लिफाफे में पदोन्नति की प्रक्रिया-अस्वीकृति**;** समीक्षा
- विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी)
- पदक्रम सूची तैयार करना
- पूरक पैनल की तैयारी सहित पदोन्नति के लिए पैनल की तैयारी और संचालन**;** प्रमोशन का तरीका
- वर्तमान रिक्ति और बैकलॉग रिक्तियों का उपचार**,** एमएसीपी**,** अनुशासनात्मक कार्यवाही**,** अनधिकृत अनुपस्थिति
- रिक्तियों (एससी/एसटी)**,** शारीरिक रूप से विकलांगों का आरक्षण - भारत सरकार के निर्देश
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 - अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और सरकार में इसका कार्यान्वयन

प्रशिक्षण विधि: एसटीएम, प्रस्तुतीकरण, पारस्परिक सत्र, अभ्यास और केस स्टडीज के अनुरूप व्याख्यान

संभावित प्रतिभागी: वलेपअ, लेखापरीक्षक/ लेखाकार, प्रशासन अनुभाग और/ या नियंत्रण कार्यालयों में काम करने वाले वरिष्ठ निजी सचिव/ निजी सचिव /स्टेनो को पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया जा सकता है।

अतिरिक्त जानकारी:

संकाय**:** विभाग के समूह क और ख के अधिकारी

पिछले पाठ्यक्रमों की प्रतिपुष्टि:

प्रतिभागियों द्वारा 0-10 के पैमाने पर पाठ्यक्रम को नौ (2023-24) रेटिंग दी गई थी।